फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

बुन्दुखां बनाम सरकार

र्थना पत्र संख्या : 332/2024

या	दिनाक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस का मनन किया गया। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 3.9600है0 भूमि ग्राम ताला, तहसील ताला में स्थित के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम इन्द्राज त्रुटिपूर्ण अंकित होकर वास्तविक व दस्तावेजी नाम के विपरित दर्ज होने से विवादित आराजियात है। प्रार्थी के पिता हुसेन पुत्र अली खां के विरासती खातेदारी मे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम हुसेन पुत्र अली खा के स्थान पर हुसेना पुत्र अल्ली खां दर्ज कर दिया गया, जो कि राजस्व कर्मचारियो की भूल व चूक के द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम त्रुटिपूर्ण इन्द्राज है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के पिता के खातेदारी इन्द्राज हुसेना पुत्र अल्ली खां के स्थान पर हुसेन पुत्र अलीखां अनुसार खातेदारी दुरूस्त करने के आदेश दिया जावे। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम ताला के वर्तमान जमाबन्दी खाता सं0 233 खसरा नम्बर 310 रकबा 3.96है0 में प्रार्थी के पिता का नाम हुसेना पुत्र अल्ली खां हि0 1/5 वगैराह खातेदारों के नाम दर्ज है। ग्राम ताला अवधि बन्दोबस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 28 तक प्रार्थी के पिता का नाम हुसेना पि0 अल्ली खां वगै0 कौम मुसलमान सा0देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 मे नामा0 सं0 500 में अली खां के बजाय महम्मद, सुल्तान, बशीर, नजीर, हुसेना पि0 अल्ली के नाम अमल दराम किया गया। नामा0 सं0 300 में खातेदार अल्ली पुत्र बजीरा की विरासत नामा0 से नवीन खातेदार महम्मद, सुल्तान, बशीर, नजीर, हुसेना पि0 अल्ली कौम मुसलमान सा0देह खातेदार दर्ज हुआ है। उक्त आराजी में सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज/फसल काश्त कर रहे है। अतः वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, पैरोकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य का अवलोकन करने पर पाया कि वादी द्वारा वाद पत्र के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह साबित होता हो की कि वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्तनीय है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुना गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति मूल प्रार्थना पत्र के साथ हमफिता हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	